झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :- 02, चैत्र,1944 (श0) / 23 मार्च, 2022 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
'क' 326.	पंचा-02	श्री उमाशंकर अकेला	जाँच कराना।	पंचायती राज	24.02.22
'ख' 633.	ग्राम-09	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पथ का मरम्मतिकरण।	ग्रामीण विकास	25.02.22
634.	ग्राम-49	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पदाधिकारी का पदस्थापन।	ग्रामीण विकास	03.03.22
'ग' 635.	ग्राम-36	श्री मथुरा प्रसाद महतो	पथ एवं पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	25.02.22
636.	भ-07	श्री भूषण बड़ा	ऐतिहासिक धरोहर स्थापित करना।	भवन निर्माण	10.03.22
'घ' 637.	पथ-47	श्रीमती पुष्पा देवी	पथ निर्माण कराना।	पथ निर्माण	03.03.22
'च' 638.	पथ-52	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	10.03.22
639.	ग्राम्य-16	श्री नलिन सोरेन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	25.02.22
640.	पथ-44	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	सड़क निर्माण कराना।	पथ निर्माण	03.03.22
'छ' 641.	ग्राम-50	श्री रामचन्द्र सिंह	पुल निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	03.03.22
'ज' 642.	ग्राम-44	श्री रामचन्द्र सिंह	अस्पताल भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	27.02.22
643.	न-20	श्री बिरंची नारायण	दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।	नगर विकास एवं आवास	07.03.22
644.	ग्राम-05	डॉ0 इरफान अंसारी	लंबित योजनाएँ पूर्ण कराना	ग्रामीण विकास	25.02.22
645.	पेय-14	श्री विनोद कुमार सिंह	नया कार्य आवंटित करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	03.03.22
646.	भ-08	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता	निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	भवन निर्माण	15.03.22
647.	न-16	श्री दीपक बिरुवा	संवेदक पर कार्रवाई करना।	नगर विकास एवं आवास	03.03.22

01	02	03	04	05	06
648.	पेय-13	श्री विनोद कुमार सिंह	पेयजल योजना की स्वीकृति देना।	पेयजल एवं स्वच्छता	28.02.22
649.	न-22	श्री रामदास सोरेन	कार्रवाई करना।	नगर विकास एवं आवास	16.03.22
'झ'650.	पथ-42	श्री नारायण दास	पथ निर्माण कराना।	पथ निर्माण	28.02.22
'ट'651.	ग्राम-33	श्री नलिन सोरेन	पथ निर्माण करना।	ग्रामीण विकास	25.02.22
652.	पथ-50	श्री दुलू महतो	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	05.03.22
653.	ग्राम्य-11	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	पथ का मरम्मति करना।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
654.	ग्राम्य-21	डॉ० लम्बोदर महतो	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	07.03.22
655.	भ-09	श्री निरल पुरती	राशि का भुगतान	भवन निर्माण	16.03.22
656.	का-16	श्री बंधु तिर्की	कर्मियों का पदस्थापन।	ग्रामीण विकास	25.02.22
657.	पथ-53	श्री लोबिन हेम्ब्रम	अतिक्रमण मुक्त करना।	पथ निर्माण	10.03.22
658.	ग्राम-23	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
659.	न-13	सुश्री अम्बा प्रसाद	वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	28.02.22
660.	पथ-55	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	दोषियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	14.03.22
'ठ'661.	ग्राम-26	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पुलिया का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.22
662.	न-19	श्री राज सिन्हा	जाँच कराना।	नगर विकास एवं आवास	05.03.22
'ड'663.	ग्राम-22	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	पथ का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
'ढ'664.	ग्राम-25	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सड़क का जीर्णोद्धार करना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
665.	पथ-54	श्री कमलेश कुमार सिंह	विभाग हस्तांतरित करना।	पथ निर्माण	14.03.22
666.	भ-06	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	कार्य पूर्ण करना।	भवन निर्माण	10.03.22
667.	ग्राम्य-07	श्री उमाशंकर अकेला	पक्की सड़कों का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	24.02.22
668.	परि0-05	श्रीमती ममता देवी	नियम संगत कार्रवाई।	परिवहन	14.03.22
669.	ग्राम-51	श्री केदार हजरा	नया आवास बनाना।	ग्रामीण विकास	05.03.22
670.	न-14	श्री अमित कुमार मंडल	प्रशासनिक स्वीकृति देना।	नगर विकास एवं आवास	03.03.22
'त'671.	ग्राम-41	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	कार्यपालक अभियंता का पदस्थापन।	ग्रामीण विकास	25.02.22
672.	भ-01	श्री उमाशंकर अकेला	कार्रवाई करना।	भवन निर्माण	24.02.22
'थ'673.	ग्राम-31	श्री कोचे मुण्डा	पुल निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
674.	पथ-09	डॉ० इरफान अंसारी	पथ निर्माण कराना।	पथ निर्माण	24.02.22
675.	पंचा-06	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	पंचायत सचिव का पदस्थापन।	पंचायती राज	03.03.22
676.	न-18	श्री राज सिन्हा	सड़क का पुनः निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	05.03.22
677.	पथ-51	श्री सुदेश कुमार महतो	पथ की मरम्मति।	पथ निर्माण	05.03.22

01	02	03	04	05	06
678.	पेय-15	श्री अमित कुमार मंडल	जलमीनार निर्माण करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.03.22
679.	ग्राम-54	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	16.03.22
'द'680.	पथ-18	श्री मनीष जायसवाल	पथ निर्माण की स्वीकृति देना।	पथ निर्माण	24.02.22
681.	पथ-36	श्री अनन्त कुमार ओझा	रोड ओवरब्रीज का निर्माण करना।	पथ निर्माण	25.02.22
682.	ग्राम-53	श्री कमलेश कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	14.03.22
'ध'683.	ग्राम-27	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पुलिया निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
684.	न-21	श्री नवीन जयसवाल	आवास निर्माण करना।	नगर विकास एवं आवास	10.03.22
685.	न-17	श्री रामदास सोरेन	हॉल्डिंग कर वसूली।	नगर विकास एवं आवास	05.03.22
686.	पथ-48	श्रीमती पुष्पा देवी	पथ निर्माण कराना।	पथ निर्माण	03.03.22

नोटः- ''क'' - 326 - पंचा-02, दिनांक-09 मार्च,2022 को सदन द्वारा स्थगित।

''ख'' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-732,दिनांक-28.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'ग' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-732,दिनांक-28.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'घ' ⟹ पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-1052,दिनांक-15.03.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'च' ⟹ पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-1051,दिनांक-15.03.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'छ' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-823,दिनांक-04.03.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'ज' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-732,दिनांक-28.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'झ' ⟹ पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-1053,दिनांक-15.03.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'ट' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक-732,दिनांक-28.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित

'ठ' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-677,दिनांक-25.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'ड' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-677,दिनांक-25.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'ढ' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-677,दिनांक-25.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'त' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-732,दिनांक-28.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'थ' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-677,दिनांक-25.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'द' ⟹ पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-1054,दिनांक-15.03.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

'ध' ⟹ ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-677,दिनांक-25.02.22 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक- 23 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020- ......1437........./वि0स0,राँची,दिनांक- 22/03/22

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 22/3/22

(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020- ......1437........./वि0स0,राँची,दिनांक- 22/03/22

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय** के सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 22/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020- ......1437........./वि0स0,राँची,दिनांक- 22/03/22

प्रतिलिपिः- **कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ आश्वासन शाखा प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा,झारखण्ड विधान सभा** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 22/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

22.03.22

उत्तर मुद्रित

जाँच कराना ।

* "क" 326. श्री उमाशंकर अकेला--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के करमा पंचायत में 14वें वित्त से पी०सी०सी० पथ का निर्माण कराया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पी०सी०सी० पथ के निर्माण में काफी अनियमितता बरती गई है जो कि इस प्रकार है, (क) करमा में पँचघरवा तुरी टोला में कच्चा रोड से जगदीश तुरी के घर तक PCC पथ निर्माण मोटाई-3 इंच । (ख) करमा में PWD रोड से बेचन पासवान के घर तक भाया रामू तुरिया के घर तक PCC पथ निर्माण वर्ष-17-18 मोटाई-3 इंच । (ग) करमा लक्ष्मण साव के बगल PWD रोड से महरू भुईया के घर तक PCC पथ निर्माण वर्ष-17-18 मोटाई-2 से 2.5 इंच । (घ) करमा PWD रोड से रामाधीन यादव के घर तक PCC पथ निर्माण वर्ष-17-18 मोटाई-3 इंच । (ङ) करमा जहीन मियां के घर से महेश यादव के घर तक PCC पथ निर्माण वर्ष-17-18 मोटाई-3 इंच ।

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सड़कों का जाँच भी किया गया है चुँकि इनका जाँच हजारीबाग जिला के पदाधिकारियों द्वारा ही किया गया है, इसलिए इस मामले को लिपा-पोती कर छोड़ दिया गया एवं न ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई संवेदक के विरूद्ध अथवा सड़क की गुणवत्ता में सुधार किया गया;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन सभी सड़कों की जाँच मुख्यालय राँची से करवाकर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) (1) उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-172/ग्रा०पं० दिनांक 7 मार्च, 2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि झारखण्ड विधान-सभा की निवेदन समिति के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2020 से 1 दिसम्बर, 2020 तक स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान चौपारण प्रखण्ड के करमा पंचायत में 14वें वित्त आयोग से निर्मित विभिन्न पथों के निरीक्षण के क्रम में प्राप्त अनियमितता के संबंध में विभागीय पत्रांक-153, दिनांक 15 फरवरी, 2021 से प्रतिवेदन की मांग की गयी । तत्पश्चात उपायुक्त कार्यालय के पत्रांक-366, दिनांक 2 जुलाई 2021 के द्वारा सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया । पुनः विभागीय पत्रांक 1384, दिनांक 3 अगस्त, 2021 के निदेशानुसार पत्रांक-593, दिनांक 12 सितम्बर, 2021 से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

पुनः पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-359, दिनांक 24 फरवरी, 2022 के निदेशानुसार जाँच हेतु कार्यालय पत्रांक-170, दिनांक 5 मार्च, 2022 के द्वारा जिला स्तरीय जाँच टीम गठित है ।

(2) विधान-सभा की निवेदन समिति की दिनांक 24 नवम्बर, 2021 की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में विधान-सभा सचिवालय के पत्रांक-91, दिनांक 11 जनवरी, 2022 के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग को निवेदन संख्या-170/2020 तथा निवेदन संख्या-138/2020 में उल्लेखित योजनाओं की जाँच तकनीकी दल गठित कर स्थानीय माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में कराने का निदेश दिया गया है ।

(3) कंडिका-2 में वर्णित निवेदन समिति के निर्णय के क्रम में उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(3) उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक-170, दिनांक 5 मार्च, 2022 के द्वारा गठित जाँच समिति का प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

नोटः-"क"-326-पंचा-02, दिनांक 9 मार्च, 2022 को सदन द्वारा स्थगित ।

(633)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का प्रखण्ड निरसा घनी आबादी, खनन् एवं औद्योगिक क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा अन्तर्गत ग्राम–मदनडीह से ग्राम–दुर्गापुर तक 04 (चार) कि0मी0 पथ अत्यन्त ही जर्जर हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के जर्जर होने के कारण बड़ी आबादी के आमलोगों को व दो पहिया, चार पहिया वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी उठाना पड़ता है तथा आये दिन दुर्घटना भी होते रहता हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त पथ का मरम्मतिकरण करानें का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2021–22 में मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–4 पथों (कुल लम्बाई–11.50 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही कुल–3 पथों (लं0–8.650 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन हैं। मा0स0वि0स0 से मरम्मति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–141/2022 ग्रा0का0वि0 421 राँची, दिनांक 08-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–628 दिनांक–25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–141/2022 ग्रा0का0वि0 421 राँची, दिनांक 08-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–141/2022 ग्रा0का0वि0 421 राँची, दिनांक 08-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8/3/22
सरकार के उप सचिव।

दिनांक–23.03.2022 के लिए डा0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–49

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पांकी विधानसभा क्षेत्र का नीलाम्बर–पीताम्बर पुर प्रखण्ड कुल 16 पंचायतों को मिलाकर बना है, जिसकी 90 प्रतिशत् आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि दिनांक–30.07. 2021 के बाद से प्रखण्ड नीलाम्बर–पीताम्बरपुर में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का पद प्रभार में है;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, पलामू के आदेश ज्ञापांक–91 दिनांक–18.02.2022 द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नीलाम्बर–पीताम्बरपुर का प्रभार दिया गया है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखण्ड में पूर्णकालिक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के पद पर पदस्थापन हेतु यथेष्ट संख्या में मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से प्राप्त होने के पश्चात् नियमित पदस्थापन किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–14/2022/ग्रा0वि0 1078, राँची, दिनांक– 21/03/2022
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–848 दिनांक–03.03.22 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 21/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–14/2022/ग्रा0वि0 1078, राँची, दिनांक– 21/03/2022
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 21/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–14/2022/ग्रा0वि0 1078, राँची, दिनांक– 21/03/2022
प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 21/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

635

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–36 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत पिरटांड़ प्रखण्ड के भारती चलकरी पंचायत के तहत्–भारती चलकरी, कदम टोला से सेकरे टोला जाने के क्रम में लाड़दाहा नाला पर पुलिया निर्माण कराना जनहित में अतिआवश्यक है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित स्थान पर पथ एवं पुलिया नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में उक्त ग्राम के ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित स्थान पर पथ एवं पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में धनबाद जिला के तोपचांची प्रखण्ड अन्तर्गत प्रखण्ड के विशुनपुर पंचायत ग्राम हरिहरपुर से मोमो जाने के मुख्य पथ में गोरगोरो जोरिया पर पुल निर्माण निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है एवं एक अन्य योजना धनबाद जिला के पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड के रूपण पंचायत के ग्राम धनारंगी से सोनापानी शिव मंदिर जाने के रास्ते में सोनापानी नदी में पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–17 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 490 राँची, दिनांक– 21-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–626 वि0स0 दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–17 / 2022 / ग्रा0का0वि0– 490 राँची, दिनांक– 21-03-2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–17 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 490 राँची, दिनांक– 21-03-2022

प्रतिलिपिः– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

(636)

श्री भूषण बाड़ा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न का संख्या–भ0–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम सं0	प्रश्न	उतर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में सिमडेगा जिला में अनुमण्डलीय कार्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव है;	स्वीकारात्मक। भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–भ0नि0यो0–04–358/21–553(भ), दिनांक– 08.02.2022 द्वारा Construction of SDO Office Building at Simdega कार्य हेतु कुल राशि रूपये 9,01,44,000/–(नौ करोड़ एक लाख चौवालीस हजार रूपये) पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में किये जाने का लक्ष्य है। उक्त योजना निविदा प्रक्रिया में है।
2.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा अनुमण्डलीय कार्यालय भवन को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1915 में निर्माण कराया गया है एवं निर्माण काल की अवधि भी भवन के मुंडेर पर अंकित है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा अनुमण्डलीय कार्यालय का भवन 106 वर्ष पुरानी होने के कारण आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित होने के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत की हमें याद दिलाती है;	स्वीकारात्मक।
4..	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित उक्त भवन को जनहित में संग्रहालय के रूप में परिणत कराते हुए, नव चयनित स्थल पर सिमडेगा अनुमण्डलीय कार्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सिमडेगा के पत्रांक–251 दिनांक–12.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक–1453 (ii)/रा0 दिनांक–17.12.2020,जो अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा को सम्बोधित है, के द्वारा लघु सिंचाई प्रमण्डल सिमडेगा परिसर में नया अनुमंडल कार्यालय भवन हेतु 1.56 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य कराये जाने का निदेश दिया गया है। अतः भवन का निर्माण नव् चयनित स्थल पर किया जाना है। किसी भी भवन को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित कर भवन को जनहित में संग्रहालय के रूप में परिणत कराने का कार्य कला संस्कृति विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। अतएव विभागीय पत्रांक–994भ0,दिनांक–15.03.2022 द्वारा इस विषय पर नियमानुकूल यथोचित कार्रवाई हेतु सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

22/03/22

सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

कृ0पृ0उ0......2

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– प्र0–03–विधायी–(ता0प्र0–भ0–07)–14/22भ0नि0/–1015(अ) /राँची, दिनांक– 22-3-22

प्रतिलिपि–श्री छोटेलाल टूडू, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–1208 वि0स0 दिनांक–10.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/03/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची

D:\Vidhansabha Session 25-02-2022 to 25-03-2022\Vidhansabha Answers.docx

634

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–पथ– 47 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि छतरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नौडीहा बाजार के सरईडीह डगरा मुख्य पथ से बिहार सीमा तक सड़क काफी ही जर्जर अवस्था में हैं;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के निर्माण हो जाने से एक बड़ी आबादी का आवागमन सुलभ हो जायेगा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उपरोक्त वर्णित पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नागत पथ दो भाग में है जिसकी लम्बाई 11.177 कि0मी0 है:– 1.प्रथम भाग PMGSY अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में T04 से डगरा–6.00 कि0मी0, पैकेज संख्या–JH-1714 स्वीकृति कर 2012–13 कार्य पूर्ण कराया गया। उक्त पथ में कार्य से अधिक भुगतान के मामले में FIR दर्ज है एवं ACB द्वारा जाँच किया जा रहा है। ACB द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तकनीकि जाँचोंपरांत पुनः निर्माण हेतु NOC पत्र निर्गत किया जा सकता है। 2.दुसरा भाग– डगरा पिकेट से नवगढ़ा–5.177 कि0मी0 पथ RCPLWEA, Batch-I (2021-22) में स्वीकृत है जो निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा आवंटन उपरांत कार्य करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–262/22 ग्रा0का0वि0 510 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–859 दिनांक–03.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत रंजन प्रसाद) 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–262/22 ग्रा0का0वि0 510 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–262/22 ग्रा0का0वि0 510 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रा0का0वि0, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/22
सरकार के उप सचिव।

638

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–पथ–52 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत सिमडेगा प्रखण्ड के गरजा से रेंगारी एवं ठेठईटांगर प्रखण्ड को जोड़ने वाली लगभग 16 कि0मी0 पथ का सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास वर्ष–2019 में ही हुआ था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पथ की लंबाई–14.60 कि0मी0 है।
2. क्या यह बात सही है कि इस पथ का निर्माण कार्य का प्राक्कलन के अनुसार नहीं हुआ है जिसके कारण कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही उखड़ रहा है और विभागीय एकरारनामा में तय समय अनुसार नहीं हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कर प्राक्कलन एवं समयानुसार कार्य को पूरा नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदक पर कार्रवाई करने तथा ससमय कार्य पूरा करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण करा दिया गया है। ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक को किये गये कार्यों का भुगतान नियमानुसार समय वृद्धि कटौती के साथ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–264 / 2022 ग्रा0का0वि0 506 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1206 दिनांक–10.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–264 / 2022 ग्रा0का0वि0 506 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–264 / 2022 ग्रा0का0वि0 506 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

639

दिनांक–23.03.2022 को माननीय स०वि०स० नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–16 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड काठीकुण्ड अनूसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड–काठीकुण्ड अन्तर्गत ग्राम–धासीपुर से बरमसीया पथ पंचायत–बड़तल्ला 04 कि0मी0 ग्राम–मकड़ाचापर से बालीजोर आर0ई0ओ0 पथ तक 02 कि0मी0 पंचायत–काठीकुण्ड बाजार, तथा ग्राम–झीकरा पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से फुलझंझरी पथ तक पंचायत झीकरा 06 कि0मी0 पथ में बोल्डर ग्रेड–1 किया हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार तीनों पथों का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में मा0 स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत 8.75 कि0मी0 पथ निर्माण/सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न पथों के प्राक्कलन की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है :– 1. पी0डब्ल्यू0डी0 पथ केशरगढ़ से रामबनी तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य–2.95 कि0मी0 2. पी0डब्ल्यू0डी0 रोड केशरगढ़ से सिरसा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य–2.15 कि0मी0 3. ग्राम–जीतपुर से पिरा होते हुए पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क मधुवन तक पथ निर्माण, पंचायत–पिपरा–3.2 कि0मी0 अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से विषयांकित योजना की अनुशंसा एवं प्राथमिकता प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–204/2022 ग्रा0का0वि0........515..........राँची/दिनांक–22-03-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–615, दिनांक–25.02.22 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–204 / 2022 ग्रा0का0वि0 515 राँची / दिनांक– 22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–204 / 2022 ग्रा0का0वि0 515 राँची / दिनांक– 22-03-2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

640

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–44" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला अन्तर्गत अड़की कोरवा बीरबांकी कोचांग बन्दगाँव पथ का निर्माण कार्य रूका हुआ है, जिसका निर्माण कार्य फरवरी, 2021 में पूरा करना था ; 2. क्या यह बात सही है कि इस पथ के पूर्ण नहीं होने से आवागमन में असुविधा हो रही है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत् पथ, कोरबा–बीरबांकी–कोचांग–बन्दगाँव (NH-75E), ग्रामीण कार्य विभाग की पथ को हस्तानान्तरित करते हुए पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य प्रगतिशील है। वर्त्तमान में 84 प्रतिशत प्रगति हासिल की जा चुकी है। पथ के 4.68 कि0मी0 पथांश में कुल 9.618 हेक्टेयर वन भूमि है। वन भूमि पथांश को जोड़कर शेष पथांश में कार्य चालू है। 3.494 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के लिए स्टेज–2 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक–10.03.2021 को तथा 6.187 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन हेतु स्टेज–1 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक–17.03.2020 को समर्पित किया गया है। वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति / कार्यानुमति की स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त पथांश में शीघ्र कार्य सम्पादित कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकःप0नि0वि0–11–ता0प्र0–52/2022, 1083(5) राँची / दिनांक–21/03/22

प्रतिलिपिः–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–858, दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकःप0नि0वि0–11–ता0प्र0–52/2022, 1083(5) राँची / दिनांक–21/03/22

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकःप0नि0वि0–11–ता0प्र0–52/2022, 1083(5) राँची / दिनांक–21/03/22

प्रतिलिपिः–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–50 का उत्तर सामग्री

(641)

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड से सतबरवा (पलामू) जिला को जोड़ने वाली पथ (बरवाडीह–पोखरी–मानासोती–पोंची–सतबरवा (पलामू) में पंचायत पोखरी खुर्द टोला–छेचानी के समीप औरंगा नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने से उक्त पथ के घनी आबादी को आवागमन में कठिनाई हो रही है साथ ही बरसात के दिनों में 3–4 माह आवागमन बाधित हो जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ पर पुल निर्माण से बरवाडीह से बेतला नेशनल पार्क एवं पलामू जिला की दूरी अत्यंत की कम हो जायेगी ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ पर पुल निर्माण का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में लातेहार जिलान्तर्गत प्रखण्ड मनिका अन्तर्गत मनिका से सेबन पथ पर बगडेगवा टोला के पास मैला नदी पर पुल निर्माण निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है एवं एक अन्य योजना लातेहार जिलान्तर्गत प्रखण्ड बरवाडीह ग्राम–मगरा में मगरा से आमडीहा पथ पर धरधरी नदी पर पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–21 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 489 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–849 वि0स0 दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–21 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 489 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–21 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 489 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

643

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–20 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पिछले 2 वर्ष से चास नगर निगम द्वारा अपने स्थानीय विधायक को किसी भी योजना के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाता है और न ही शिलापट्ट पर स्थानीय विधायक का नाम अंकित किया जाता है ;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान सरकार गठन का प्रथम वर्षगाठ दिनांक–29.12.2020 एवं द्वितीय वर्षगाठ दिनांक–29.12.2021 के अवसर पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का मेगा उदघाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम पूरे राज्य भर में जिला स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें चास नगर निगम की भी विभिन्न लोक जनकल्याणकारी योजनाओं का उदघाटन एवं शिलान्यास किया गया है। दिनांक–29.12.2020 एवं 29.12.2021 को उदघाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय विधायक का नाम शिलापट्ट पर अंकित है। उक्त के पश्चात अलग से योजनाओं का शिलान्यास एवं उदघाटन कार्यक्रम चास नगर निगम द्वारा आयोजित नहीं की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि The all India Service (Conduct) Rule, 1968 के अंतर्गत Miscellaneous Executive Instruction भारत सरकार द्वारा निर्गत है, जिसमें माननीय विधायक के साथ पत्र व्यवहार, आदि के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत है एवं विधायक से प्राप्त पत्रों के त्वरित निष्पादन, आदि के संबंध में झारखण्ड सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वयन) के पत्रांक–1058, दिनांक–22.08.2016 के द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/ उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी, आदि को विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कंडिका–1 में वर्णित समस्या का समाधान कराते हुए जिम्मेदार एवं दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है,, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–08/तारा०/01/2022 न०वि०आ० –934 दि०–14/03/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के उनके ज्ञाप सं०प्र०–1019 दिनांक–07.03.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/22
सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम – 05 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में 64344 सिंचाई कूप स्वीकृत किया गया, जिसमें अभी तक मात्र 6225 कूप का कार्य पूर्ण किया गया है;	अस्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत पूर्व में ली गई योजना सहित वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में कुल 88,369 सिंचाई कूप की योजना क्रियान्वित थी जिसके विरूद्ध वर्तमान में 30,366 सिंचाई कूप की योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि विभागीय लापरवाही एवं निचे स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण ही विभाग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत ऐसे मामले प्रकाश में आने पर विभाग स्तर से उचित निर्णय लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लम्बित योजनाओं को पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यो ?	उपरांकित कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–228 / वि0 स0 / 2022 / ग्रा0 वि0 – (N) 388 राँची, दिनांक 22-3-2022

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय; राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 630 दिनांक 25.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–228 / वि0 स0 / 2022 / ग्रा0 वि0 – (N) 388 राँची, दिनांक 22-3-2022

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

(645)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 14 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखण्ड में बगोदरडीह ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना शिल्पी कंस्ट्रक्शन को आवंटित था, जिसने आज चार साल बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया है, साथ ही किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता खराब है;	वस्तु स्थिति यह है कि बगोदर प्रखण्ड में बगोदरडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दिनांक– 04.01.2017 को प्रदान की गयी थी, जिसके अन्तर्गत 02 (दो) अदद् जलमीनार का निर्माण किया जाना था। Zone- I के जलमीनार का स्थल विवाद होने के कारण नया स्थल का चयन कर जलमीनार का निर्माण कराया गया है। पाईप लाईन की Testing की जा रही है। वर्त्तमान में योजना को आंशिक रूप से चालू कर जलापूर्ति की जा रही है। योजना के अवयवों के गुणवत्ता की जाँच पर विभाग द्वारा ESR, WTP, Intake well का Concrete Cube Test कराया गया है, जिससे योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि अधूरा कार्य व खराब गुणवत्ता के बावजूद शिल्पी कंस्ट्रक्शन को बेको तथा औरा पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य आवंटित किया गया है;	मेसर्स शिल्पी कन्सट्रक्शन को खुली निविदा में भाग लेने के पश्चात् सफल निविदाकार होने के कारण कार्य आवंटित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बगोदरडीह ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की गुणवत्ता दुरूस्त करते हुए शिल्पी कंस्ट्रक्शन को नये कार्य आवंटित करने पर रोक लगाने का का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना का कार्य समय से पूर्ण नहीं करने के कारण विभाग द्वारा मेसर्स शिल्पी कन्सट्रक्शन को विभागीय निविदाओं में भाग लेने से वंचित करते हुए एक वर्ष तक के लिए निलम्बित (Debar) किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01– 180/2021– 1385 राँची, दिनांक :– 22/3/22

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 874, दिनांक– 03.03.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-03-2022

(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01– 180/2021– 1385 राँची, दिनांक :– 22/3/22

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-03-2022

(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

646

डा0 कुशवाहा,शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–08 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रखण्ड तरहसी में +2 उच्च विद्यालय, सिलदिलिया कला संचालित है, जहाँ करीब 1000 (एक हजार) छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत् हैं;	भवन निर्माण विभाग से संबंधित नही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय के नए भवन का निर्माण में सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन्स के द्वारा आठ वर्ष पूर्व से कराया जा रहा है, जो आज तक अपूर्ण है;	कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–712/नि0, दिनांक–21.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित है किः– झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखण्ड तरहसी, पलामू के निर्माण कार्य हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–39, दिनांक–06.01.2016 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त कार्य हेतु विधिवत् निविदा आमंत्रित कर मेसर्स सिलदिलिया कन्सट्रक्शन को आवंटित किया गया। इस कार्य की एकरारनामा संख्या–4 SBD/17-18 दिनांक–12.05.2017 है। वर्तमान में उक्त योजना की भौतिक प्रगति 78% है।
3.	क्या यह बात सही है कि संवेदक की उदासीन एवं लंबित कार्यशैली के कारण उक्त महत्वकांक्षी भवन का निर्माण अधूरा रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन–पाठन के कार्यों में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** प्रबंधक–सह–कार्यपालक अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पलामू के पत्रांक–96, दिनांक–14.03.2022 के द्वारा संवेदक मेसर्स सिलदिलिया कन्सट्रक्शन को कार्य में विलंब के कारण भविष्य की निविदाओं से वंचित (Debar) करने की अनुशंसा की गई है। इस अनुशंसा के आलोक में निगम के पत्रांक–696, दिनांक–16.03.2022 के द्वारा संवेदक मेसर्स सिलदिलिया कन्सट्रक्शन को कार्य में विलंब के कारण भविष्य की निविदाओं से वंचित (Debar) कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के बाद के विपत्रों से दस प्रतिशत की कटौती की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित संवेदक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए काली सूची में डालने तथा निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखंड तरहसी, पलामू के निर्माण कार्य का पूर्ण करने का लक्ष्य 31.05.2022 तक निर्धारित किया गया है। इस तिथि तक संवेदक द्वारा कार्य को नहीं किए जाने की स्थिति में एकरारनामा के प्रावधानों के अंतर्गत संवेदक के विरूद्ध समुचित अतिरिक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

22/03/22
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः– प्र0–03–विधायी(ता0प्र0भ0–08)–17/22/भ0नि0 1016(अ) राँची, दिनांकः– 22-3-22

प्रतिलिपिः–श्री छोटेलाल टुडू, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1341/वि0स0, दिनांक–15.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/22
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

D:\Vidhansabh Session 23-02-2022 to 25-03-2022\Vidhansabha Answers.docx

647

श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–16 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चाईबासा नगरपालिका क्षेत्र में 7.5 कि.मी. लंबी 29 नालियों का निर्माण 6.5 करोड़ रूपये की लागत से हो रही है;	स्वीकारात्मक है। 15वें वित्त आयोग के तहत चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 6.50 करोड़ रूपये से 9.2 कि.मी. लम्बी 43 नालियों का निर्माण कराया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा गाड़ीखाना गुरूद्वारा एवं नगाड़ा चौक के पास पुरानी नाली के समानान्तर ही नयी नाली एवं घटिया स्तर के सामग्रियों का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका स्थानीय लागों द्वारा विरोध किया जा रहा है;	चाईबासा नगर परिषद के द्वारा निम्नांकित सूचना प्रतिवेदित की गयी है:– i. गुरूद्वारा के सामने किये जा रहे नाली निर्माण का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यह निर्माण कार्य चाईबासा नगर परिषद के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। ii. नगाड़ा चौक के समक्ष नाली निर्माण के दौरान असुविधा होने के कारण पुराने नाली के सामान्तर कुछ फीट गड्डा खोदकर पानी निकासी की गई थी। वर्त्तमान में नाली निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जो पुरानी क्षतिग्रस्त नाली को ध्वस्त कर बनाया जा रहा है एवं सामान्तर नाली में खोदे गये गड्डे को भर दिया गया है। iii. उक्त योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कराया जा रहा है एवं चाईबासा नगर परिषद कार्यालय को निर्माण कार्य से संबंधित आमजनों से कोई शिकायत अप्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निविदा में उल्लिखित शर्तो के विरूद्ध/गुणवत्ता की अनदेखी कर कार्य करने वाले संवेदक के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/न०वि०/तारांकित–08/2022 ......932........ राँची, दिनांक–14/03/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–873 दिनांक–03.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 14/3/2022
सरकार के अवर सचिव।

E:\AJIT\Vidhan Sabha Question & Answer.docx_212

648

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक— 23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय— 13 का उत्तर :—

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—		**श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :—**
1.	क्या यह बात सही है कि जल जीवन मिशन में हर घर नल योजना के तहत् प्रत्येक घर तक नल से पेयजल पहुँचाने का संकल्प है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बलिया, बलगो और पडरमनियां पंचायत के लिए बलिया ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव तैयार हैं;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के सरिया प्रखण्ड में परसिया, घुठियापेसरा व अमनारी पंचायत हेतु अमनारी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव तैयार है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलिया और अमनारी पेयजल आपूर्ति योजना को स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बलिया, बलगो, पडरमनियां, परसिया, घुठियापेसरा एवं अमनारी पंचायत को लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना/बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से आच्छादित किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

<u>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग</u>

ज्ञापांक :— 7/ता०प्र०— 01— 179/2021— 1386 राँची, दिनांक :— 22/3/22

प्रतिलिपि :—अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक— 733, दिनांक— 28.02.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.03.2022

(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :— 7/ता०प्र०— 01— 179/2021— 1386 राँची, दिनांक :— 22/3/22

प्रतिलिपि :—संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा— 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.03.2022

(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

649

श्री रामदास सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–22 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में राँची के हटिया–टोनको रोड से केशर विहार में राजनन्दन सिंह के घर तक एवं राँची नगर निगम के सड़क तक तथा आस–पास के क्षेत्र में सड़क, नाली एवं कल्वर्ट निर्माण हेतु 4,99,01,300/– रूपये राशि स्वीकृत की गई है जो राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के P.L. खाते में जमा है;	स्वीकारात्मक है। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रश्नगत योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके कार्यान्वयन हेतु राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को कुल 2.50 करोड़ रूपये का आवंटन प्रदान किया गया है एवं अब तक 1,90,37,625/– रूपये का कार्य कराया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हटिया–टोनको रोड से केशर विहार में राजनन्दन सिंह के घर तक संबंधित विभागीय अभियंता के द्वारा कार्य प्रारंभ कराकर जहाँ–तहाँ सड़क व नाली खोदकर छोड़ दिया गया जिससे स्थानीय लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में योजना कार्यान्वयनाधीन है एवं इसकी समाप्ति की तिथि दिनांक 30.05.2022 है।
3.	क्या यह बात सही है खण्ड–2 में वर्णित कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निजी स्वार्थ में 04 माह से बंद कराई गई है जबकि उक्त अभियंता पर संबंधित विभाग में अनेक वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगे है फिर भी सरकार ऐसे अभियंता को कार्य कोटि पद पर पदस्थापित कर जनहित कार्यों का कार्यान्वयन करा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। उक्त योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के आरोप लगे थे। इस क्रम में मुख्य अभियन्ता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का जांच कराया गया। जांच में कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप एवं संतोषजनक पाया गया।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–2 में वर्णित लंबित कार्य समाप्त कराते हुए संबंधित अभियंता पर लगे सभी आरोपों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर उक्त अभियंता पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/न०वि०/तारांकित–13/2022 ......1035...... राँची, दिनांक–22/03/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–1351 दिनांक–16.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2022
सरकार के अवर सचिव।

E:\AJIT\Vidhan Sabha Question & Answer.docx_215

649

श्री रामदास सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न–22 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में राँची के हटिया–टोनको रोड से केशर विहार में राजनन्दन सिंह के घर तक एवं राँची नगर निगम के सड़क तक तथा आस–पास के क्षेत्र में सड़क, नाली एवं कल्वर्ट निर्माण हेतु 4,99,01,300/– रूपये राशि स्वीकृत की गई है जो राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के P.L. खाते में जमा है;	स्वीकारात्मक है। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रश्नगत योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके कार्यान्वयन हेतु राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को कुल 2.50 करोड़ रूपये का आवंटन प्रदान किया गया है एवं अब तक 1,90,37,625/– रूपये का कार्य कराया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हटिया–टोनको रोड से केशर विहार में राजनन्दन सिंह के घर तक संबंधित विभागीय अभियंता के द्वारा कार्य प्रारंभ कराकर जहाँ–तहाँ सड़क व नाली खोदकर छोड़ दिया गया जिससे स्थानीय लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में योजना कार्यान्वयनाधीन है एवं इसकी समाप्ति की तिथि दिनांक 30.05.2022 है।
3.	क्या यह बात सही है खण्ड–2 में वर्णित कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निजी स्वार्थ में 04 माह से बंद कराई गई है जबकि उक्त अभियंता पर संबंधित विभाग में अनेक वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगे है फिर भी सरकार ऐसे अभियंता को कार्य कोटि पद पर पदस्थापित कर जनहित कार्यों का कार्यान्वयन करा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। उक्त योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता के आरोप लगे थे। इस क्रम में मुख्य अभियन्ता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का जांच कराया गया। जांच में कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप एवं संतोषजनक पाया गया।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–2 में वर्णित लंबित कार्य समाप्त कराते हुए संबंधित अभियंता पर लगे सभी आरोपों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर उक्त अभियंता पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/न०वि०/तारांकित–13/2022 ......1035.... राँची, दिनांक–22/03/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–1351 दिनांक–16.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2022

सरकार के अवर सचिव।

E:\AJIT\Vidhan Sabha Question & Answer.docx_215

651

दिनांक–23.03.2022 को माननीय स०वि०स० नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–33 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**
	प्रश्न	**उत्तर**
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड काठीकुण्ड अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड–काठीकुण्ड अन्तर्गत पंचायत आसनपहाड़ी के ग्राम–कैरासोल में काठीकुण्ड से कैरासोल पथ निर्माण के योजना की स्वीकृत्यादेश संख्या–92/स्वी0, दिनांक–03.11.2021 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना का टेंडर हो गया है, लेकिन अबतक टेंडर नहीं खोला गया है,	प्रथम बार की निविदा आमंत्रण में एक ही निविदाकार की निविदा वैध होने के कारण दिनांक–25.02.2022 को पुनर्निविदा आमंत्रित की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त पथ निर्माण योजना का टेंडर खोलकर उपरोक्त पथ निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निविदा निष्पादन के पश्चात कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–203/2022 ग्रा0का0वि0.......516.......राँची/दिनांक–22-03-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–621, दिनांक–25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–203/2022 ग्रा0का0वि0.......516.......राँची/दिनांक–22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–203/2022 ग्रा0का0वि0.......516.......राँची/दिनांक–22-03-2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

652

श्री ढुलू महतो, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– "पथ–50" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के निम्नलिखित सड़कों की हालत जर्जर है; (क) सिनीडीह–नावागढ़–महुदामोड़ सड़क अत्यंत जर्जर होने के कारण आए दिन दुर्घटना के कारण जान–माल की क्षति हो रही है; (ख) बाघमारा बाजार इंदिरा चौक से झीमकनाली पथ प्रखण्ड मुख्यालय पथ अत्यंत जर्जर है; (ग) NH32 सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ की कटाई कर मार्ग को अस्त–व्यस्त कर जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया है एवं पुनवृक्षारोपण भी नहीं की गई है; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथों के निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	(क) प्रश्नगत पथ, सिनी–नावागढ़–महुदामोड़, पथ निर्माण विभाग की पथ, राजगंज–कतरास–जमडीहा पथ का अंश है। जिसके उन्नयन का कार्य प्रगति में है, यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष पूर्ण करा लिया जाएगा। (ख) प्रश्नगत पथ, पथ निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है। यह पथ रेलवे एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। (ग) प्रश्नगत् पथ, एन०एच०–32 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पत्ति है एवं वर्त्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (NHAI) के अधीन है। NHAI से प्राप्त उत्तर निम्न है :– NH-32 (राजगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक) के चौड़ीकरण के क्रम में उक्त स्थान पर Realignment कर फोर लेन सड़क का निर्माण एवं सिनीडीह–नावाडीह–महुदा मोड़ की सड़क के मरम्मति का कार्य कर दिया गया है जो कि उक्त सड़क यातायात संचालन में है। चार लेन सड़क निर्माणोंपरांत सड़क के किनारे दोनों तरफ में 24000 वृक्ष तथा Median में कुल 8822 वृक्ष लगाये जा चुके हैं।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः प०नि०वि०–11–ता०प्र०–53/2022, 1086(S) राँची/दिनांक– 21/03/22

प्रतिलिपिः–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–970 दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 21/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प०नि०वि०–11–ता०प्र०–53/2022, 1086(S) राँची/दिनांक– 21/03/22

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 21/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प०नि०वि०–11–ता०प्र०–53/2022, 1086(S) राँची/दिनांक– 21/03/22

प्रतिलिपिः–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

(ह०) 21/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(653)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का प्रखण्ड निरसा घनी आबादी, खनन् एवं औद्योगिक क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड निरसा अन्तर्गत जामताड़ा रोड नीचे बेलडांगा से पुरनी होते हुए लाघाटा तक 07 कि0मी0 पथ अत्यन्त ही जर्जर हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के जर्जर होने के कारण आमलोगों को व दो पहिया व चार पहिया वाहनों को आवागमन में काफी परेशानी उठाना पड़ता है तथा दुर्घटना भी होते रहता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त जर्जर पथ कर मरम्मतिकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2021–22 में मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–4 पथों (कुल लम्बाई–11.50 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही कुल–3 पथों (लं0–8.650 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन हैं। मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–206/2022 ग्रा0का0वि0 484 राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–372 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–206/2022 ग्रा0का0वि0 484 राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–206/2022 ग्रा0का0वि0 484 राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/22
सरकार के उप सचिव।

654

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड के बगीचारी मोड़ से कसमार–पेटरवार पी0डब्यू0 रोड (भगत वहा) तक, हिसीम चौक खुदीबेड़ा से त्रियोनाला तक, पेटरवार प्रखण्ड अन्तर्गत तेनुघाट थाना चौक से जेल से होते हुए घरवाटाँड़ तक तथा गोमिया प्रखण्ड के अन्तर्गत चतरो चट्टी से हुरलुंग तक, गझंडी से चेलियाटांड़ भाया कर्री तक, करमाटांड़ से लोधी भाया वनचतरा तक, वनचतरा से चहे तक तथा कण्डेर से महुआटांड़ तक के पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पथों का निर्माण/मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. कसमार प्रखण्ड के बगीचारी मोड़ से कसमार–पेटरवार पी0डब्लू0डी0 रोड (भगत वहा) तक पथ में से पथांश (i) T02 से T01 दान्तू भाया मधुकरमपुर में 2.20 कि0मी0 पथ PMGSY-III, Batch-II में प्रस्तावित है। (ii) उक्त पथ में से ही पथांश T02 बगरा से T03 भाया मुगों, दुर्गापुर, चैनपुर, जमहार पथ का पथांश 2.00 कि0मी0 PMGSY-III, Batch-II अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसे स्वीकृति के उपरांत करा लिया जायेगा। 2. गोमिया प्रखण्ड के अन्तर्गत चतरो चट्टी से हुरलुंग तक पथ में से बलिया से चतरोचट्टी पथ 8.00 कि0मी0 पथांश का Defect Liability Period के तहत् मरम्मति PMGSY अन्तर्गत कराया जा रहा है। 3. गझंडी से चेलियाटांड़ भाया कर्री तक पथ में से पथांश 5.00 कि0मी0 पथ गोमिया प्रखण्ड के चोलैयाटांड से करमाटांड भाया बसोबार पथ नाम से PMGSY-III, Batch-II अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसे स्वीकृति के उपरांत करा लिया जायेगा। शेष पथांश की स्थिति अच्छी है। 4. करमाटांड से लोधी भाया वनचतरा तक पथ चोलैयाटांड से करमाटांड भाया वासोवार पथ नाम से PMGSY-III, Batch-II से अच्छादित है। 5. वनचतरा से चहे पथ गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत कोदवाटांड (वनचतरा स्कूल) से धनरा–6.41 कि0मी0 पथ का पथांश है जो PMGSY-III, Batch-II अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसे स्वीकृति के उपरांत करा लिया जायेगा। 6. कण्डेर से महुआटांड़ तक पथ PMGSY अंतर्गत हरदगढ़ा से सिमराबेड़ा पथ का पथांश है एवं PMGSY Post Five Year Maintanance अंतर्गत प्रस्तावित है जिसे स्वीकृति के उपरांत करा लिया जायेगा। 7. चालू वित्तीय वर्ष–2021–22 में मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–3 पथों (कुल लम्बाई–9.50 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही कुल–3 पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन हैं। मा0स0वि0स0 से शेष पथों की अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–182/2022 ग्रा0का0वि0 504 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1018 दिनांक–07.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–182/2022 ग्रा0का0वि0........504........राँची, दिनांक 22-03-2022
प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रजीत रंजन 25/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–182/2022 ग्रा0का0वि0........504........राँची, दिनांक 22-03-2022
प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रजीत रंजन 25/3/22
सरकार के उप सचिव।

655

श्री निरल पूरती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र.म	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष –2018–2019 में [SCATOTSS] पश्चिमी सिंहभूम जिला में [+2] विद्यालयों अतिरिक्त छः अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पत्रांक–2006अनु0 दिनांक–31.08.2019 द्वारा अधीक्षण अभियंता, दक्षिणी छोटानागपुर द्वारा 15[+2] उच्च विद्यालयों में छः अतिरिक्त कमरों का निर्माण कुल 06 करोड़ 51 लाख 03 हजार रू0 आवंटन के [प्रति ईकाई 43,40,200/–]विरूद्ध मात्र 26,66,666/–रू0 प्रति ईकाई भुगतान किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष आवंटित राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ;	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक–337/अनु0, दिनांक–21.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSS) योजना मद में पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1750, दिनांक–30.11.2018 तथा परियोजना निदेशक, ITDA , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक–1153(B), दिनांक–24.08.2019 द्वारा +2 उच्च विद्यालयों में 06 अतिरिक्त वर्ग कक्षा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, चाईबासा को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की राशि प्रति ईकाई 39,12,000/– तथा तकनीकी स्वीकृति की राशि 43,40,200/–प्रति ईकाई है। 15 विद्यालयों में 06 अतिरिक्त वर्ग कक्षा के निर्माण की कुल तकनीकी स्वीकृत राशि 6,51,03,000/– के विरूद्ध 3,99,99,995/– का आवंटन अब तक प्राप्त हुआ है। जिसके प्रत्येक विद्यालय में कार्य के विरूद्ध लगभग 26,66,666/– रूपये का भुगतान किया गया है। सभी कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष आवंटन 2,51,03,005/–रूपये की मांग बार–बार परियोजना निदेशक, ITDA पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से की जा रही है। उनके द्वारा भी सचिव/कल्याण आयुक्त, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार से आवंटन की मांग की जा रही है। शेष आवंटन अप्राप्त रहने के कारण संवेदकों का भुगतान लंबित है। योजना के प्रशासी विभाग से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।

22/03/22

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

D:\Vidhansabha Session 25-02-2022 to 25-03-2022\Vidhansabha Answers.docx

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः– प्र0–03–विधायी(ता0प्र0भ0–09)–18 / 22 / भ0नि0 1013(अ) राँची, दिनांकः– 22-3-22

प्रतिलिपिः–श्री छोटेलाल टुडू, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1349 / वि0स0, दिनांक–16.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 22/03/22

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

D:\Vidhansabh Session 25-02-2022 to 23-03-2022\Vidhansabha Answers.docx

656

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 का0–16

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता – माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार से निर्गत पत्र जिसका पत्रांक–6856 दिनांक–21.10.2008 के आलोक में ईटकी प्रखण्ड स्थापना में पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/अन्य कर्मी का पद सृजन किया गया तथा इसके अतिरिक्त ईटकी प्रखण्ड में विभिन्न विभागों से पर्यवेक्षक एवं कर्मी अन्य प्रखण्डों से प्रतिनियुक्ति में है जिसका स्थापना इस प्रखण्ड में नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–6856 दिनांक–21.10.2008 द्वारा ईटकी प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–1, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी–1, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक–1, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल–1, लिपिक–सह–टंकक –03 आदेशपाल–02, चौकीदार–सह–रात्रि प्रहरी–01, मोटर चालक–01 का पद सृजित है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अन्य प्रखण्ड से प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षकों/कर्मियों का स्थापना ईटकी प्रखण्ड में स्वीकृत करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का पत्रांक–549 दिनांक–04.03.2022 के अनुसार राज्य अन्तर्गत 224 बाल विकास परियोजना संचालित है, जिसमें बेड़ो अन्तर्गत ईटकी प्रखण्ड के लाभुक भी आच्छादित हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का पत्रांक–2003 दिनांक–03.09.2021 के अनुसार ईटकी प्रखण्ड में वर्तमान में प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक का पद सृजित नहीं है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक–1015 दिनांक–03.09.2021 के अनुसार ईटकी अंचल में श्रम पर्वतन पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है तथा पद सृजन से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कृषि निदेशालय, झारखण्ड का पत्रांक–1204 दिनांक–09.03.2022 के अनुसार ईटकी प्रखण्ड में आवश्यकतानुसार जनसेवक का पद सृजन हेतु उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, राँची से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–13/2022/ग्रा0वि0 990 **राँची, दिनांक**–11/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–491 दिनांक–25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–13/2022/ग्रा0वि0 990 राँची, दिनांक– 11/03/2022

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्या एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग/सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–13/2022/ग्रा0वि0 990 राँची, दिनांक– 11/03/2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–04/2021/ग्रा0वि0 990 राँची, दिनांक– 11/03/2022

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

(657)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–53" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– **1.** क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बोआरीजोर प्रखंड के PWD सड़क में महुआटोला चौक पर घनी आबादी है ; **2.** क्या यह बात सही है कि है महुआटोला चौक में कुछ अतिक्रमणकारी द्वारा सड़क का अतिक्रमण किया गया है ; **3.** क्या यह बात सही है कि अतिक्रमण के वजह से आये दिन उक्त जगह में वाहन का जाम एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ; **4.** यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत् पथ, बोआरीजोर–विशुनपुर–घोरीचक पथ (लंबाई–15.466 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तानान्तरित करते हुए पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराया गया है। भू–अर्जन हेतु आवश्यक राशि रू0 619.03 लाख, भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को उपलब्ध कराई जा चुकी है। भू–अर्जन कार्यालय द्वारा भूमि अर्जन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ अतिक्रमण है, उसे हटाने के लिए उपायुक्त गोड्डा को विभागीय पत्रांक 1075(S) दिनांक 16.03.2022 द्वारा विधिवत कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया । भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अर्जित भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2022, 1081(S), **राँची / दिनांक–**21/03/22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल,अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1207 दिनांक–10.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2022, 1081(S), **राँची / दिनांक–**21/03/22
प्रतिलिपि:–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–57 / 2022, 1081(S), **राँची / दिनांक–**21/03/22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

21/3

सरकार के अवर सचिव

658

श्री दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–23 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में JSLPS के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास योजना जैसे–गरीबों में समूह बनाकर ऋण प्रदान करना, बकरी पालन, मुर्गा पालन, बागवानी, वृक्षारोपण, किसानों के लिए कृषि उपकरण आदि का वितरण कार्य किऐ जाते है?	पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखण्डों अमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा एवं हिरणपुर में JSLPS द्वारा महिलाओं के आर्थिक एवं समाजिक सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों को चक्रिय निधि एवं एवं कलस्टर स्तरीय संघ को समुदायिक निवेश निधि के रुप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। बकरी पालन, मुर्गा पालन, बागवानी, वृक्षारोपण, किसानों के लिए कृषि उपकरण आदि का वितरण झारखण्ड राज्य सरकार के अधिनस्थ विभागों (पशुपालन विभाग, भूमि संरक्षण विभाग एवं मनरेगा इत्यादि की मदद) से अभिसरण कर स्वयं सहायता समूहों, कलस्टर स्तरीय संघों एवं उत्पादक समूहों को लाभान्वित किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि JSLPS के पदाधिकारियों के द्वारा इस क्षेत्र में घोर अनियमितता किया जा रहा है और धरातल पर कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता। योजना सिर्फ कागजी बनकर रह गया है। विकास कार्यो के लिए आवंटित राशि का बन्दरबाँट हो जाता है।	पूर्व में वर्ष 2020 में एक कर्मी के विरुद्ध शिकायत आने पर राज्य स्तरीय कमिटि से जाँचोंपरांत उनका निलंबन आदेश संख्या–JSLPS/4262, दिनांक–31/12/2021 द्वारा सुनिश्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्षेत्र में वर्तमान में अभी तक किसी भी अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध किसी भी तरह की शिकायत नहीं आयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र में इनके द्वारा किये गए कार्यों का जाँच कराकर विगत तीन वर्षो की आवंटित राशि एवं मद में खर्च की गई राशि का ब्योरा देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड 1 में प्रस्तुत किऐ गऐ उत्तर के आधार पर तीन वर्षों में आवंटित राशि एवं मद में खर्च की गई राशि का ब्योरा पत्र के साथ अनुलग्नक–1 संलग्न है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/M & E/2022/066/ 972 दिनांक– 10/03/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभी सचिवालय को उनके ज्ञापांक–393, दिनांक–23/03/2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2022

(संजय कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० झारखण्ड द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–13 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों गोड्डा, चाकुलिया और बुण्डू में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार होकर ट्रायल रन में है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अच्छी व्यवस्था और प्लांट का निर्माण नहीं होने के कारण कूड़े–कचरे को रेलवे स्टेशन के समीप और सड़क किनारे डंप किया जा रहा है, जिससे कि शहरवासियों को प्रदूषण, दुर्गंध के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्तमान में सॉलिड वेस्ट प्लांट हजारीबाग नगर निगम में नहीं है। अतः हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में वर्षों से चिन्हित स्थल कूद पर सुरक्षित तरीके से प्रतिदिन निगम क्षेत्र से निकलने वाले कचरे को गिराया जा रहा है, जो रेलवे स्टेशन के करीब है। दुर्गंध एवं प्रदूषण के रोकथाम हेतु समय–समय पर कीटनाशक आदि का छिड़काव किया जाता है। उक्त डंप साईट का Scientific Remediation हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग नगर निगम के लिए SWM का पुनरीक्षित DPR राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–SUDA/SBM / झा०वि०स०प्र० / 20 / 2022 / UDHD–....1019...... दि०–....21/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–731, दिनांक–28.02.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–55" का उत्तर प्रतिवेदन :– (660)

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू तथा गढ़वा जिला अंतर्गत एन0एच0 75 फ़ोर लेन सड़क जिसका बाईपास सड़क विश्रामपुर प्रखण्ड के ग्राम शंखा से मेराल तक है का निर्माण कराया जा रहा है; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त वाईपास सड़क का निर्माण संवेदक द्वारा घटिया किस्म की सामग्री से कराया जा रहा है और प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण सड़क शीघ्र ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी और पुलिया कभी भी धराशाई हो सकती है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच कराकर संवेदक का भुगतान रोकते हुए दोषियों पर कार्रवाई कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों?	प्रश्नगत् पथांश, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–75 का अंश है। जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पत्ति है। जो वर्त्तमान में NHAI अधीन है। प्रश्नगत सन्दर्भ में NHAI से निम्न उत्तर प्राप्त है :– संखा (कि0मी0 196.870) से खजुरी (कि0मी0–219.600) तक बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। इस खण्ड का कार्य दिनांक–07.10.2021 से प्रारंभ किया गया है तथा रियायत एकरारनामा के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य को दो वर्षों में पूर्ण कराना है साथ हीं राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–75 के खजुरी (कि0मी0 219.600) से मेराल होते हुए विंढमगंज (कि0मी0 259.640) तक, सड़क चौड़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निविदा दिनांक–04.02.2022 को आमंत्रित कर दिया गया है। उक्त कार्य का अवार्ड वित्तीय वर्ष 2022–23 में होना संभावित है। यह भी अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–75 के संखा (कि0मी0 196.870) से खजुरी (कि0मी0 219.600) तक के बाईपास के निर्माण संवेदक के द्वारा MORTH एवं IRC के मानकों के अनुसार किया जा रहा है। कार्य की Quality का निरीक्षण करने के लिए NHAI के द्वारा स्वतंत्र अभियंता (Independent Engineer) को भी नियुक्त किया गया है। कार्य में सड़क सुरक्षा के पालन के लिए Safety Consultant को भी नियुक्त किया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद भी 15 वर्षों तक सड़क का रख–रखाव एवं मरम्मत संवेदक के द्वारा किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–59 / 2022, 1087(S) राँची / दिनांक 21/03/22

प्रतिलिपि:–छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1293, दिनांक–14.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प०नि०वि०–11–ता०प्र०–59 / 2022, 1087(S) राँची / दिनांक– 21/03/22

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प०नि०वि०–11–ता०प्र०–59 / 2022, 1087(S) राँची / दिनांक– 21/03/22

प्रतिलिपिः–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–26 का उत्तर सामग्री

661

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखण्डाधीन बड़ामारा पंचायत के अन्तर्गत टांगाशोली ग्राम में लगभग 30 परिवार निवास करते हैं ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बड़ामार–टांगाशोली रास्ते के बीच पोलपला नाले पर पुलिया ना होने के कारण बरसात के समय टांगाशोली गाँव टापू बन जाता है तथा आवागमन ठप हो जाता है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित स्थल पर पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बहरगोड़ा प्रखण्ड के गोपालपुर पंचायत के नेकड़ागुंजी गांव में काठुआनाला पर पुल निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है एवं एक अन्य योजना गुड़ाबांधा प्रखण्ड अन्तर्गत कड़ीयानाला पर पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–25 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 493 राँची, दिनांक– 21-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–391 वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–25 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 493 राँची, दिनांक– 21-03-2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–25 / 2022 / ग्रा0का0वि0 – 493 राँची, दिनांक– 21-03-2022

प्रतिलिपिः– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

(662)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० झारखण्ड द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–19 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत डिबडीह ओवरब्रिज से पूरब स्थित अशोक आश्रम रोड के दोनों ओर अवस्थित आवासीय परिसरों में हर घर नल–जल योजना के तहत् जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कनेक्शन दिया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची नगर निगम क्षेत्र के डिबडीह ओवरब्रीज से पूरब स्थित अशोक आश्रम रोड में JnNURM अंतर्गत राँची शहरी जलापूर्ति योजना के तहत् पाईप लाईन बिछाया जा चुका है तथा जलापूर्ति भी चालू है। इस योजना अंतर्गत घरेलू गृह जल संयोजन का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क में सबसे अधिक होल्डिंग टैक्स (लगभग 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष) देने वाले साई विहार अपार्टमेंट परिसर को इस योजना से वंचित कर दिया गया है, जबकि मात्र 25 मीटर दूर तक पाईप लाईन लगा हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जुडको लि० के द्वारा जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तारीकरण एवं प्रत्येक घर में जल संयोजन देने का प्रस्ताव है। साई विहार अपार्टमेंट में जल संयोजन हेतु वांछित कागजात के साथ आवेदन किये जाने पर जल संयोजन देने की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या, सरकार वर्णित मामले की जाँच कराकर उक्त परिसर में जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/तारांकित–10/2022 –1020 दि०–21/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–966, दिनांक–05.03.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022
सरकार के अवर सचिव।

663

दिनांक–23.03.2022 को माननीय स०वि०स० दिनेश विलियम मराण्डी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–22 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के हिरणपुर प्रखण्ड में मोहनपुर नदी से भाया दलदली होते हुए बाबूपुर तेलोपाड़ा पथ का निर्माण आज से लगभग 10 वर्षो पहले कराया गया था;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का आज तक मरम्मति नहीं होने के कारण पथ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिसके कारण आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है ;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के नहीं बनने के कारण सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2021–22 में मा0 स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत 8.36 कि0मी0 पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न पथों के प्राक्कलन की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गयी है :– 1. बड़तल्ला पंचायत अन्तर्गत बड़तल्ला ग्रामीण पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य– 2.733 कि0मी0 2. हिरणपुर पी0डब्ल्यू0डी0 पथ से हाथकाठी आदिवासी टोला तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य– 1.66 कि0मी0 3. पी0डब्ल्यू0डी0 रोड छतरचुऑ से जोलो बाबूपुर, खजुरडंगा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य– 6.95 कि0मी0 4. पी0डब्लू0डी0 मुख्य पथ से विशनपुर होते हुए चिलगोजोड़ी तक पथ निर्माण कार्य– 1.325 कि0मी0 अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से विषयांकित योजना की अनुशंसा एवं प्राथमिकता प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–205/2022 ग्रा0का0वि0 485 राँची/दिनांक– 21-03-2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–390, दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 21/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–205/2022 ग्रा0का0वि0......485......राँची/दिनांक–21-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–205/2022 ग्रा0का0वि0......485......राँची/दिनांक–21-03-2022

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/3/22

सरकार के उप सचिव।

664

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के काण्डी प्रखण्ड अंतर्गत मोखापी मोड़ से काण्डी तक आज से सात वर्ष पूर्व सड़क का जीर्णोद्धार किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की स्थिति दयनीय है तथा आवागमन बाधित है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ पी0एम0जी0एस0वाई0–III, बैच–II (2021–22) अन्तर्गत T-01 मोखापी मोड़ से काण्डी भाया महुली डेमा पथ – 8.85 कि0मी0 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव MoRD को भेजा जा चुका है। स्वीकृति उपरांत कार्य करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–145/22 ग्रा0का0वि0 507 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–398 दिनांक– 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–145/22 ग्रा0का0वि0 507 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–145/22 ग्रा0का0वि0 507 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रा0का0वि0, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

(665)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0– पथ–54 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की स्वामित्व वाली पथ पी0डब्लू0डी0 मुख्य पथ मोहम्मदगंज से सोनबरसा, वीरधवर बिहरा, पंसा होते हैदरनगर पी0डब्लू0डी0 पथ तक तथा एनएच 98 सुल्तानी से सरसोत, रबदी, ढकचा, भोजुआ होते नौडीहा बाजार बारा मोड़ पी0डब्लू0डी0 पथ तक सड़कों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण होने के कारण आवागमन दूभर हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित दोनों सड़के प्रशासनिक एवं जनहित में बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि एक सड़क झारखण्ड के सबसे लंबे सोन नदी पर निर्मित सुड़ीपुर–पंसा पुल से आवागमन का मुख्य मार्ग है, तो दूसरी सड़क बिहार के सीमा पर अवस्थित घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से होकर गुजरती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित सड़कों का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कराकर सड़कों का नि र्माण कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ के हस्तांतरण हेतु पथ निर्माण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–320 / 22 ग्रा0का0वि0 514 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1294 दिनांक–14.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–320 / 22 ग्रा0का0वि0 514 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–320 / 22 ग्रा0का0वि0 514 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रा0का0वि0, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–06 का उतर प्रतिवेदनः– 666

कम सं0	प्रश्न	उतर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत ठेठईटांगर, बोलबा, कोलेबिरा, बानो, केरसई, जलडेगा, एवं बांसजोर में Child Friendly Paediatric Ward के निर्माण हेतु निविदा एजेन्सी भवन प्रमण्डल, भवन निर्माण के द्वारा निकाला गया था, जिसका निविदा संख्या–13/202–22 है;	स्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सिमडेगा के पत्रांक–252 दिनांक–12.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित है कि असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा के स्वीकृति आदेश पत्रांक–1043 दिनांक–18.06.2021 के आलोक में निविदा किया गया। छायाप्रति संलग्न। कार्य पूर्ण है परन्तु आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका है। उक्त संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सिमडेगा के पत्रांक–183अनु0 दिनांक–23.02.2022 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से आवंटन की मांग की गयी है। जिसके आलोक में उपायुक्त, सिमडेगा ने अपने **पत्रांक–07(ii)/गो0दिनांक–24.02.2022 द्वारा अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड राँची से आवंटन की मांग की है।** उल्लेखित योजना के लम्बित भुगतान हेतु भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–962भ0 दिनांक–15.03.2022 द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस कार्य से सम्बंधित संवेदक द्वारा उक्त बार्डो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, परन्तु आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है;	उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कार्य पूर्ण किये संवेदक को राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् संवेदक को शीघ्र भुगतान किया जा सकेगा।

22/03/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– प्र0–03–विधायी–(ता0प्र0–भ0–06)–13/22भ0नि0/–1017(अ) /राँची, दिनांक–22-3-22

प्रतिलिपि–श्री छोटेलाल टूडू, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–1209 वि0स0 दिनांक–10.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/03/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची

D:\Vidhasabh Session 23-02-2022 to 23-03-2022\Vidhansabha Answers.docx

(667)

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत रानीचुआं पंचायत में ग्राम धोबघट, नरसिंघवा, पिण्डवा तथा परसातरी समुद्रतल से 12 कि0मी0 की ऊँचाई पर स्थित है जहाँ आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के लोगों की घोर आबादी है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि आजादी के बाद से आज तक इन गाँवों को पक्की सड़क का निर्माण कर आपस में नहीं जोड़ा गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सड़क निर्माण नहीं होने के कारण इन गाँव के निवासियों को आम जन–जीवन बसर करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मरीजों, गर्भवती महिलाओं को पास के अस्पताल जाने में काफी परेशानी होती है एवं एक घनी आबादी सड़क न होने से विकास की रौशनी से कोसो दूर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन ग्रामवासियों के हित एवं क्षेत्र के विकास के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2021–22 में मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–5 पथों (कुल लम्बाई–7.80 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही कुल–3 पथों के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन हैं। मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–119 / 2022 ग्रा0का0वि0 486 राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–373 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–119 / 2022 ग्रा0का0वि0 486 राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–119 / 2022 ग्रा0का0वि0 486 राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/3/22

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक–23.03.2022 को श्रीमती ममता देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–05 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता *श्रीमती ममता देवी,* माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता *श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री,* परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	*क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में ओवरलोड वाहनों के संचालन से सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की हानि होती है एवं सड़क की स्थिति भी समय से पहले जर्जर (खराब) हो जाती है;*	–	अस्वीकारात्मक।
2	*क्या यह बात सही है कि ओवरलोड वाहन चलने से बेरोजगारी सहित ट्रांसपोर्टरों को काम की भी समस्या उत्पन्न होती है;*	–	अस्वीकारात्मक।
3	*क्या यह बात सही है कि ओवरलोड वाहनों के चलने से उक्त गाड़ी मालिक एवं माल के क्रेता विक्रेता को ही सिर्फ लाभ होता है एवं अन्य वाहन मालिक एवं चालकों को काम नहीं मिलने की वजह से आर्थिक समस्या के साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है;*	–	अस्वीकारात्मक।
4	*क्या यह बात सही है कि ओवरलोड गाड़ियों का परिचालन संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलिभगत से होती है;*	–	अस्वीकारात्मक।
5	*यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों का संचालन रोकने के साथ ही संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियम संगत कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?"*	–	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार सभी जिलों में ओवरलोड वाहनों का संचालन रोकने हेतु प्रतिबद्ध है। तदालोक में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 194 (1A) के अंतर्गत Driving Vehicle Exceeding Permissible Size वाहनों से अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दण्ड राशि चालान निर्गत कर या Online चालान निर्गत कर प्राप्त की जाती है। दण्ड शुल्क का भुगतान नहीं करने पर वाहनों का सीजर भी होता है। रामगढ़ जिलांतर्गत ओवरलोडिंग वाहनों पर की गयी कार्रवाई एवं तद्जनित दण्ड शुल्क का विगत पाँच वर्षों का व्योरा निम्नवत् है:–

क्र० सं०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	ओवरलोडिंग वाहनों पर की गयी कार्रवाई की संख्या	ओवरलोडिंग वाहनों से लिये गये दण्ड शुल्क
1	2	3	4	5
	रामगढ़	2017	50	742553
		2018	70	2819672
		2019	40	146900
		2020	92	779500
		2021	105	1121000
		2022	138	1802000
कुल			495	7411625

22/03/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–47/2022 ......265....../राँची, दिनांक....22/03/2022....

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1292, दिनांक–14.03.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–47/2022 ......265....../राँची, दिनांक....22/03/2022....

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

दिनांक–23.03.2022 के लिए श्री केदार हजरा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–51

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड के प्रखण्ड मुख्यालय में कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारियों का आवास बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित आवास ध्वस्त रहने के कारण प्रखण्ड में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रखण्ड कार्यालय देवरी में कार्यरत पदाधिकारियों तथा कर्मियों के लिए नया आवास बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजटीय उपबंध प्राप्त होने के उपरान्त गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड मुख्यालय अन्तर्गत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–15/2022/ग्रा0वि0 1079, राँची, दिनांक– 21/03/2022
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–968 दिनांक–05.03.22 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–15/2022/ग्रा0वि0 1079, राँची, दिनांक– 21/03/2022
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–15/2022/ग्रा0वि0 1079, राँची, दिनांक– 21/03/2022
प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

670

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–14 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा नगर परिषद् क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष–2021–22 के लिए HLMC द्वारा अनुमोदित UNTIED फण्ड से नगर विकास विभाग, राँची के पत्रांक–127 दिनांक–08.10.2021 के माध्यम से कुल आठ योजना राशि 751.14 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित योजनाओं का चयन बिना बोर्ड की स्वीकृति बिना जी०ओ०टैग किये, बिना जगह चयन (कहाँ से कहाँ तक) किये प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेज दिया गया, जो कि नियम संगत नहीं है;	योजनाओं का चयन दिनांक–10.07.2021 को बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव संख्या–11 में प्रदान की गयी है। बोर्ड की स्वीकृति के उपरांत नगर परिषद से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक–127 दिनांक–08.10.2021 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित योजनाओं में माननीय क्षेत्रीय विधायक की एक भी अनुशंसा सम्मिलित नहीं है;	माननीय क्षेत्रीय विधायक को नगर परिषद बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। माननीय क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं का क्रियान्वयन अन्य मद से सम्पन्न करा दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुनः खण्ड एक के वर्णित योजनाओं की स्वीकृति खण्ड दो एवं तीन के आलोक में नगर परिषद् गोड्डा से करवाते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	15वें वित्त आयोग खण्ड–1 में वर्णित योजना को HLMC से स्वीकृति के पश्चात सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–02/वि०मं०प्र०–02/2022 न०वि०आ० 931 राँची, दिनांक– 14/03/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–868 दिनांक–03.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/22

सरकार के अवर सचिव।

671

दिनांक–23.03.2022 को माननीय स0वि0स0 श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा सदन में पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–41 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला में एन0आर0ई0पी0 एवं आर0ई0ओ0 जैसे महत्वपूर्ण प्रमण्डलों में लगभग 6 माह से कार्यपालक अभियन्ता का पर रिक्त है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग के कार्यपालक अभियन्ता का एन0आर0ई0पी0 तथा आर0ई0ओ0 प्रमण्डल का अतिरिक्त प्रभार में संचालित है, जिससे विकास कार्यो में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या हजारीबाग जिले में एन0आर0ई0पी0 तथा आर0ई0ओ0 प्रमण्डल में कार्यपालक अभियन्ता का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना संख्या–07, दिनांक–03.01.2022 द्वारा श्री विजय कुमार, कार्यपालक अभियंता को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग को कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–165/2022 ग्रा0का0वि0 494 राँची/दिनांक–21-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–629 वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 21.3.22
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–165/2022 ग्रा0का0वि0 494 राँची/दिनांक–21-03-2022

प्रतिलिपिः– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 21.3.22
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–165/2022 ग्रा0का0वि0 494 राँची/दिनांक–21-03-2022

प्रतिलिपिः– सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह0) 21.3.22
सरकार के अवर सचिव।

672

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–म0–01 का उतर प्रतिवेदनः–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत भगहर पंचायत के ग्राम–परसातरी में तहसील कचहरी का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस भवन के निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई है जिसकी जाँच स्वयं तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा किया गया एवं उनके द्वारा जाँच में भी अनियमितता पाया गया। जाँच में यह बताया गया ईट घटिया स्तर के गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हल्की चोट से टूट जाता है एवं मसाले का अनुपात भी मानक के अनुसार नहीं है। यह बताया गया कि मसाला 1+10 यानी एक कढ़ाई सिमेन्ट में 10 कढ़ाई बालू का प्रयोग किया गया है;	अस्वीकारात्मक। अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, हजारीबाग के पत्रांक–134 अनु0 दिनांक–25.02.2022 एवं पत्रांक–207अनु0 दिनांक–16.03.2022 तथा इसके साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग का पत्रांक–82अनु0 दिनांक–25.02.22 द्वारा प्रतिवेदित है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–32 / आ / रा0,दिनांक–19.06.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 40,89,100 / –(रूपये चालीस लाख नवासी हजार एक सौ रूपये)मात्र प्रति ईकाई की दर से तहसील कचहरी निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्बन्धित उपायुक्त को आवंटन उपलब्ध कराया गया था, कार्यकारी एजेंसी के रूप में उक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा कराया गया। उक्त निर्माण कार्य के फलस्वरूप कुल रूपये 40,33,557 / – (चालीस लाख तैतीस हजार पाँच सौ सन्तावन रूपये) मात्र का भुगतान किया गया है। साथ ही प्रतिवेदित है कि भवन निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है। संवेदक के निर्माण स्थल पर मौजूद नहीं रहने के कारण पूर्व में ही केवल एक गाड़ी ईंट थोड़ा खराब गिरा दिया गया था, जिसे निर्देशानुसार त्वरित रूप में निर्माण स्थल से हटवा दिया गया था एवं कार्य गुणवत्ता पूर्ण सम्पन्न कराया गया है। जिसका तकनीकी रूप से प्रमाणित करने हेतु Hammer Test,Strength Test ,एवं NDT Test जाँच प्रतिवेदन (1) Sun-Tech, Tupudana, Ranchi का Letter No.ST/L/21/11/BCD-HZB/M1091121, Date 23.11.21, (2) Sun-Tech, Tupudana, Ranchi का Letter No.ST/L/21/11/BCD-HZB/M1101121, Date 23.11.21, एवं (3) Elite Laboratory, Soil & Material Analysis Centre, Ratu Road, Ratu, Ranchi का Report No.E16122020N001M के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।जिसमें सभी जाँच के उपरांत कार्य संतोषप्रद पाये जाने का उल्लेख है।

3.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा जाँच में भवन निर्माण में अनियमितता पाई गई उनके द्वारा रिपोर्ट भी भेजा गया, उसके बावजूद भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा संवेदक को भुगतान किया गया है, जो कि तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता की संवेदक के साथ भ्रष्टाचार में मिलीभगत को दर्शाता है;	अस्वीकारात्मक। कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा उस संवेदक को काली सूची में दर्ज किया गया है एवं भवन निर्माण विभाग के हजारीबाग के कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है, जबकि इस राशि का भुगतान संवेदक के द्वारा इस भवन के गुणवत्ता में सुधार करने के बाद होना था;	उक्त संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक–82अनु0 दिनांक–25.02.2022 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि निवेदन समिति की बैठक में निवेदन सं0–145/20 में दिए गए निर्देशों के आलोक में निबंधन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2948भ0 दिनांक–22.11.2021द्वारा संवेदक को 1 वर्ष के लिए डिबार किया गया है। तकनीकी जाँच/रिपोर्ट के आलोक में संवेदक को भुगतान किया गया है। पुनः कार्यपालक अभियंता, हजारीबाग के द्वारा किये गये भुगतान के संबध में मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से समीक्षोपरांत आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तत्कालीन भवन निर्माण के कार्यपालक अभियन्ता पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–5 का उत्तर उपरोक्त कंडिकाओं में समाहित है।

ह0/- 22/03/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक– भ0–03–विधायी–(ता0प्र0भ0–01)–04/22-1014(भ) /राँची, दिनांक–22-3-22

प्रतिलिपि–श्री छोटेलाल टूडू, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–375 वि0स0 दिनांक –24.02.22 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/03/22
सरकार के उप सचिव
भवन निर्माण विभाग, राँची।

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–31 का उत्तर सामग्री 673

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
(01) क्या यह बात सही है कि खुँटी जिला के फटका कडिंगा के बीच बनई नदी पर पुल नहीं बना है ;	स्वीकारात्मक।
(02) क्या यह बात सही है कि बनई नदी पर पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में आम जनताओं को दिक्कत होती है ;	स्वीकारात्मक।
(03) क्या यह बात सही है कि बनई नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने पर जिला मुख्यालय आने के लिए लोगों को सुविधा होगी ,	स्वीकारात्मक।
(04) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बनई नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में तोरपा प्रखण्ड के हुटुम से जोगीसोसो पथ एवं देशावली नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है एवं एक अन्य योजना रनिया एवं तोरपा प्रखण्ड अन्तर्गत इटम से पाकर टोली पथ पर कारो नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–27 / 2022 / ग्रा0का0वि0 — 492 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–389 वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–27 / 2022 / ग्रा0का0वि0 — 492 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–27 / 2022 / ग्रा0का0वि0 — 492 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

674

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–09" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के सीमा के लहरजोरी से मुरलीपहाड़ी भाया नारायणपुर नावाडीह सड़क जो सीधा गोविन्दपुर साहिबगंज राज्य मार्ग से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क है; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क देवघर, मधुपुर, चितरा के लोगों को धनबाद और गिरिडीह जाने के लिए सीधे जोड़ती है और दूरी भी कम है, जो अतिमहत्वपूर्ण है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण सड़क को पथ निर्माण विभाग से निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत् पथ, ग्रामीण कार्य विभाग अधीनस्थ है। Road Network Connectivity के मद्देनजर DPR सूत्रण की कार्रवाई की गई है। निधि की उपलब्धता एवं ग्रामीण कार्य विभाग की सहमति के उपरान्त पथ के हस्तांतरण एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् तदनुसार कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2022, 1085(S) राँची/दिनांक– 21/03/22

प्रतिलिपि:– श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–383, दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2022, 1085(S) राँची/दिनांक–21/03/22

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2022, 1085(S) राँची/दिनांक–21/03/22

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

675

माननीय स0वि0स0 श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– पंचा– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत कुल 86 पंचायत है जिसमें केवल 36 में पंचायत सचिव नियुक्त है जिसके कारण ग्राम वासियों को पंचायत स्तर पर होनेवाले आवश्यक कार्य करने में असुविधा हो रही है;	अस्वीकारात्मक खूँटी जिलान्तर्गत कुल 86 पंचायत है। 86 पंचायत के विरूद्ध कुल 46 पंचायत सचिव कार्यरत है। विभागीय निदेश के आलोक में शेष पंचायतों के लिए जनसेवकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पंचायत सचिव का भी कार्य दायित्व निर्वहन कराये जाने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला को निर्गत है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र सभी पंचायतों में पंचायत सचिव का पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कब् तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–20/2022 505 /, राँची, दिनांकः–16.03.2022

प्रतिलिपिः– 125 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 851 दिनांक 03.03.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–20/2022 505 /, राँची, दिनांकः–16.03.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

16/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–20/2022 505 /, राँची, दिनांकः–16.03.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/3/22

सरकार के उप सचिव।

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

676

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या—न—18 का उत्तर प्रतिवेदनः—

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत डिबडीह ओवरब्रिज से पूरब स्थित अशोक आश्रम रोड जल जमाव एवं हर घर नल—जल योजना के तहत रोड काटे जाने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। राँची नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि JNnURM योजना के तहत प्रश्नगत क्षेत्र में जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तारीकरण का कार्य कराते हुए पथ की मरम्मति करा दिया गया था। वर्त्तमान में पथ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि 2015—16 में लगभग 300 मीटर दूरी में सड़क किनारे नाली बनाकर छोड़ दिया गया और शेष लगभग 300 मीटर में नाली निर्माण अभी तक नहीं किया गया, जिससे जल जमाव की स्थिति बनी रहती है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों से उक्त सड़क की सामान्य या विशेष मरम्मति नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क के किनारे नाली निर्माण कराने के साथ ही सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2022—23 में प्रश्नगत क्षेत्र में सड़क का पुनर्निर्माण एवं नाली निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः—5/न०वि०/तारांकित—11/2022 ....933........ राँची, दिनांक—14/03/22

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञापांक—965 दिनांक—05.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/2022

सरकार के अवर सचिव।

E:\AJIT\Vidhan Sabha Question & Answer.docx_211

677

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–51" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला अंतर्गत बंता–राहे–बुण्डू पथ अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के जर्जर होने के कारण इसमें आने वाले वाहनों एवं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंता–राहे–बुण्डू पथ की मरम्मति एवं मजबूतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत् बंता–राहे–बुण्डू पथ, लंबाई–33.00 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की पथ है। विगत वर्षों में पथ की आवश्यक मरम्मति तथा सड़क सुरक्षा कार्य कराई गई है। पथ के उन्नयन हेतु सृजित प्राक्कलन अभी समीक्षाधीन है। तत्पश्चात् निधि की उपलब्धता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकःप0नि0वि0–11–ता0प्र0–54/2022, 1084(S) **राँची/दिनांक–** 21/03/22

प्रतिलिपिः–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–969 दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकःप0नि0वि0–11–ता0प्र0–54/2022, 1084(S) **राँची/दिनांक–** 21/03/22

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकःप0नि0वि0–11–ता0प्र0–54/2022, 1084(S) **राँची/दिनांक–** 21/03/22

प्रतिलिपिः–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

21/3

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 15 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के तिलोकरी एवं गड़गी में पेयजलापूर्ति हेतु जलमीनार का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जलमीनार एवं इंटेक वेल का निर्माण कार्य अत्यंत ही घटिया रूप से किया गया है, जिस कारण पेयजलापूर्ति भी बाधित रहती है;	अस्वीकारात्मक। जयनगर प्रखण्ड के अन्तर्गत तिलोकरी एवं गड़गी जलापूर्ति योजना इनटेक वेल का निर्माण बराकर नदी में किया गया है। इनटेक वेल निर्माण हेतु समय–समय पर Concrete Cube Test किया जाता है, जिससे योजना की गुणवत्ता बनी रहती है। तिलोकरी एवं गड़गी का इनटेक वेल बराकर नदी के Down Stream में अवस्थित है। तिलैया डैम के Down Stream का गेट डीवीसी द्वारा वर्त्तमान में बंद कर दिया गया है। जिससे नदी में जल प्रवाह नहीं हो रहा है। इनटेक वेल के आस–पास बराकर नदी में अवैध रूप से बालू का उठाव भी हो रहा है। जिससे नदी का जलस्तर नीचे जा रहा है। तिलोकरी एवं गड़गी का इनटेक वेल में Infiltration Gallery के द्वारा Sub-Surface Flow के माध्यम से प्राप्त जल द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। वर्त्तमान में योजना चालू है, जिससे कुल 15 अदद् ग्रामों के 3008 अदद् घरों में गृह जल–संयोजन कर पेयजलापूर्ति की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उपरोक्त जलमीनार एवं इंटेक वेल के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच कराते हुए संलिप्त दोषी पदाधिकारी एवं संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–181/2021– 1384 राँची, दिनांक :– 22/3/22

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 1088, दिनांक– 08.03.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.03.2022

(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–181/2021– 1384 राँची, दिनांक :– 22/3/22

प्रतिलिपि :–संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.03.2022

(श्यामा नन्द झा)
सरकार के उप सचिव।

679

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–54 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू निर्वाचन क्षेत्र के बडगड़ प्रखण्ड के ग्राम–टेहरी से दुबियाठी होते हुए सरूवत तक पथ के अभाव में आदिवासी क्षेत्र के लोग विकास के क्षेत्र से काफी पिछड़े हुए हैं;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि आज तक गढ़वा जिला के द्वारा विकास योजना में उपरोक्त पथों के निर्माण से संबंधित प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार बड़गड़ प्रखण्ड के ग्राम–टेहरी से दुबियाठी होते हुए सरूवत तक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से 15 कि0मी0 पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ का पूर्ण भाग व्याघ्र परियोजना (Tiger Reserve Area) पलामू प्रक्षेत्र में पड़ता है एवं अति उग्रवाद प्रभावित सरूवत पहाड़ पर स्थित है। वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–321/22 ग्रा0का0वि0.....511.....राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1350 दिनांक–16.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–321/22 ग्रा0का0वि0.....511.....राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–321/22 ग्रा0का0वि0.....511.....राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रा0का0वि0, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22
सरकार के उप सचिव।

680

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–पथ–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग अन्तर्गत (क) एन0एच0–100 सिंघानी चौक से जगदीशपुर होते हुए बड़ासी डंडईकला–डंडईखुर्द अमनारी से सिलवार एन0एच0–100 तक भाया अमनारी पंचायत भवन से मेरू एन0एच0–100 तक भाया अमनारी शिवमंदिर से केसुरा मोड़ एन0एच0–100 तक (लगभग 20 कि0मी0) (ख)–एन0एच0–100 से केसुरा मोड़ होते हुए चुटियारों तक भाया डुमर चाया, बानाहप्पा भाया लखैया हुटपा से एन0एच0–100 भाया सरौनी फायरिंग रेंज होते हुए सिलवार कलां एन0एच0–100 तक (लगभग 18 कि0मी0) एवं (ग)–सीतागढ़ पिंजरापोल गौशाला से होते हुए बहोरणपुर, गुरहेतु, धवैया भाया दुग्धा जुलजुल, बेला मुंडवार तक पथ (लगभग 15 कि0मी0) काफी जर्जर है जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ घनी अबादी क्षेत्र से होकर गुजरती है तथा उक्त पथ के निर्माण होने से लगभग 50 हजार अबादी को इसका लाभ मिलेगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के पथों का निर्माण कराने का निर्णय ली है ;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित सभी पथों की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	(क) एन0एच0–100 सिंघानी चौक से जगदीशपुर होते हुए बड़ासी डंडईकला–डंडईखुर्द मेरू चौक तक पथ PMGSY-III, Batch-II अंतर्गत T03 सिंघानी से मेरू भाया बरासी पथ–11.32 कि0मी0 नाम से पथ का प्राक्कलन प्रस्तावित है जो स्वीकृति हेतु MoRD भेजा जा चुका है। अमनारी पंचायत भवन से केसुरा मोड़ तक (लं0–2 कि0मी0) वित्तीय वर्ष–2020–21 में मरम्मति मद से कार्य पूर्ण किया जा चुका है। (ख) एन0एच0–100 से केसुरा मोड़ होते हुए चुटियारों तक भाया सरौनी फायरिंग रेंज होते हुए एन0एच0–100 तक पथ का सर्वे "पथ निर्माण विभाग" द्वारा किया गया है। एन0एच0–100 हुटपा चौक से चंदवार भाया डुमर भाया बानाहप्पा लखैया (लं0–12 कि0मी0) पथ PMGSY-III (Batch-II) के अंतर्गत प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। (ग) सीतागढ़ पिंजरापोल गौशाला से होते हुए बहोरणपुर, गुरहेतु, धवैया भाया दुग्धा जुलजुल, बेला मुंडवार तक पथ (लं0–5 कि0मी0) की मरम्मति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–263/2022 ग्रा0का0वि0 512 राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–382 दिनांक–24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत रंजन 22/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–263/2022 ग्रा0का0वि0.......512.......राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–263/2022 ग्रा0का0वि0.......512.......राँची, दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/3/22

सरकार के उप सचिव।

681

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0– "पथ–36" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– **1.** क्या यह बात सही है कि साहेबगंज शहरी घनी आबादी क्षेत्र में स्थित साहेबगंज पश्चिमी रेलवे फाटक L.C No-82 B/T पर R.O.B (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पायी है; **2.** क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित R.O.B (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु पूर्वात्तर रेलवे (निर्माण विभाग) के पत्रांक–CAO/Con/W/2468/978, Dt.-09-07-2021 तथा पत्रांक–CAO/Con/W/2468/981, Dt.-22-09-2021 के माध्यम से राज्य सरकार यह अनुरोध की गयी है कि निर्माण की स्वीकृति की टोकन के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र भेजे, ताकि संयुक्त प्राक्कलित राशि को स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जा सके ; **3.** क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित R.O.B के निर्माण हेतु खण्ड (2) में वर्णित पत्र पर विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की जा सकी है ; **4.** यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित R.O.B (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु सारी प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत् LC No.-82 B/T पर ROB निर्माण हेतु Cost Sharing (50:50) से संबंधित राज्य सरकार की सहमति पूर्व रेलवे (Eastern Railway) को संसूचित है परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निर्गत नहीं है। उक्त क्रम में, रेलवे द्वारा विहित वचन पत्र की माँग की गई है। रेलवे द्वारा प्रेषित वचन पत्र में वर्णित शर्त्तों की समीक्षा की जा रही है। तत्पश्चात् अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–45/2022, 1082(S) राँची/दिनांक– 21/03/22
प्रतिलिपि:–श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–620 दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–45/2022, 1082(S) राँची/दिनांक– 21/03/22
प्रतिलिपि:–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:प0नि0वि0–11–ता0प्र0–45/2022, 1082(S) राँची/दिनांक– 21/03/22
प्रतिलिपि:–श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

682

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम – 53 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत निबंधित अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है;	अस्वीकारात्मक। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत प्रत्येक निबंधित ग्रामीण परिवार जिनके इच्छुक वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
2. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में निबंधित मजदूरों की संख्या – 711722 है;	अस्वीकारात्मक। दिनांक 21.03.2022 को MIS में परिलक्षित आँकड़ों के अनुसार पलामू जिला अन्तर्गत कुल 379946 ग्रामीण परिवारों को निबन्धित कर उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है। साथ ही निबन्धित एवं सक्रिय मजदूरों की संख्या क्रमशः – 713848 एवं 347984 है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड –2 में वर्णित 711722 निबंधित मजदूरों में से वर्ष 2021–22 में 28 फरवरी, 2022 तक मात्र 5000 मजदूरों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है;	अस्वीकारात्मक। दिनांक 21.03.2022 को MIS में परिलक्षित आँकड़ों के अनुसार पलामू जिला अन्तर्गत 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या – 3131 है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना का पलामू जिले में लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने के क्या कारण हैं तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्य को सफलीभूत करने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	मनरेगा एक माँग आधारित योजना है जिसमें प्रत्येक निबंधित ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्य को अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13 (B) –237 / वि०स० / 2022 / ग्रा०वि० (N) 387 राँची, दिनांक 22.3.2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 1295 / वि०स० दिनांक 14.03.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13 (B) –237 / वि०स० / 2022 / ग्रा०वि० (N) 387 राँची, दिनांक 22.3.2022

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/3/22

सरकार के उप सचिव।

E:\Rinki- office\2014\Dy. Sec\13- B - 237 Vidhan Sabha.docx

683

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–27 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0	**श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड के टिटिहा मोड़ से बेलबोरिया सड़क के बीच सिंदरा खाल पर कोई पुलिया नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बरसात के मौसम में खण्ड–1 में वर्णित खाल में पानी का बहाव बढ़ जाने से सम्पर्क पूरी तरह से कट जाती है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उद्धृत स्थल पर पुलिया निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बहरगोड़ा प्रखण्ड के गोपालपुर पंचायत के नेकड़ागुंजी गांव में काठुआनाला पर पुल निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है एवं एक अन्य योजना गुड़ाबांधा प्रखण्ड अन्तर्गत कड़ीयानाला पर पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–26 / 2022 / ग्रा0का0वि0 — 491 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–387 वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–26 / 2022 / ग्रा0का0वि0 — 491 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–26 / 2022 / ग्रा0का0वि0 — 491 राँची, दिनांक– 21–03–2022

प्रतिलिपिः– सचिव कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22

सरकार के अवर सचिव।

684

श्री नवीन जायसवाल, मा०स०वि०स० झारखण्ड द्वारा दिनांक–23.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–21 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड–38 इन्दिरानगर, जगरनाथपुर में लगभग 50–60 वर्षों से समाज द्वारा बहिष्कृत कुष्ठ पीड़ित परिवार एच.ई.सी. के अधिगृहित जमीन पर अपना झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आज के दिनों में कुष्ठ पीड़ित परिवारों के पास रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं है और ना ही राज्य सरकार के तरफ से इन्हें किसी प्रकार का आवास आवंटित किया गया है, जिसके कारण उनके एवं बच्चों का भविष्य अंधकारमय सा हो गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राँची नगर निगम के द्वारा सर्वे किया गया है। सर्वे में कुल 267 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या, सरकार समाज द्वारा बहिष्कृत कुष्ठ पीड़ित परिवारों के हित एवं उनके उत्थान के लिए आवास बनाकर उन्हें बसाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा इन्दिरानगर के साथ ही निर्मला कुष्ठ आश्रम एवं तपोवन कुष्ठ आश्रम के 256 कुष्ठ पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु आनि मौजा में आवासीय परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य संबंधित निविदा जुडको लि० द्वारा प्रकाशित कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–3/वि०स०/तारांकित प्रश्न/06/2022/न०वि०–1021 दि०–21/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1210, दिनांक–10.03.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022
सरकार के अवर सचिव।

(685)

श्री रामदास सोरेन, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–17 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची हटिया के टोनको रोड स्थित केशर विहार मुहल्ला राँची नगर निगम क्षेत्र से बाहर है फिर भी संबंधित निगम द्वारा उक्त मुहल्ले में रहने वाले श्री अजय कुमार सिन्हा से होल्डिंग–नम्बर–0550002860000A1 सहित अन्य कई लोगों को संबंधित निगम होल्डिंग नम्बर निर्गत कर उक्त कर की वसूली वर्षों से कर रही है तथा दिनांक 05.06.2021 एवं दिनांक 12.06.2021 तथा दिनांक 25.02.2022 को उक्त लोगों को मैसेज भेजकर उक्त कर जमा करने को कहा गया है जबकि उक्त क्षेत्र में रहने वालों को सभी मूलभूत नगरीय सुविधाओं देने के नाम पर उक्त निगम के पदाधिकारियों द्वारा यह कहते हुए कि उक्त मुहल्ला निगम क्षेत्र से बाहर कहकर नहीं दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 एवं संशोधन नियमावली, 2015 की कंडिका 13.1 एवं 13.2 के तहत आवेदक के द्वारा राँची नगर निगम में स्वकर निर्धारण प्रपत्र अपने संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा किया गया। तत्पश्चात निगम के द्वारा 15 अंक का होल्डिंग–नम्बर–0550002860000A1 इन्हें आवंटित किया गया है। निगम के कर संग्रहकर्ता के द्वारा प्रतिवेदित है कि आवेदक का मकान निगम क्षेत्र से बाहर है। आवेदक के द्वारा होल्डिंग रद्द करने हेतु निगम कार्यालय में आवेदन के साथ शपथ पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। शपथ पत्र में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त होल्डिंग नंबर से मेरे द्वारा पूर्व में एवं वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी लाभ नहीं लिया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ शपथ पत्र जमा करना अपेक्षित है। तत्पश्चात निगम के द्वारा उक्त होल्डिंग नंबर को बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मामले के संबंध में श्री अजय कुमार सिन्हा द्वारा वर्ष– जून, 2021 में स्पीड पोस्ट के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव, विभागीय सचिव सहित संबंधित नगर आयुक्त को उक्त संबंध में लिखित आग्रह किया गया है कि अगर उक्त मुहल्ला राँची नगर निगम क्षेत्र से बाहर है तो उक्त क्षेत्र के लोगों को होल्डिंग–कर जमा करने से संबंधित मैसेज बन्द किया जाये, फिर भी निगम द्वारा उक्त कर जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों को मानसिक परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक द्वारा होल्डिंग नंबर बंद किए जाने से संबंधित शपथ पत्र जमा करने के पश्चात होल्डिंग नंबर बन्द कर दिया जाएगा। होल्डिंग नंबर बन्द होने के पश्चात मैसेज आना स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित मुहल्ले में रहने वाले लोगों से होल्डिंग–कर की वसूली बन्द कर उक्त लोगों से नियम विरूद्ध अबतक की गई होल्डिंग–कर वसूली का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	क्रमांक 1 एवं 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। जहाँ तक राशि वापस करने का प्रश्न है "झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 एवं संशोधन नियमावली, 2015 में राशि वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।"

झारखण्ड सरकार

<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

ज्ञापांकः–8/तारां०/02/2022 न०वि०आ० 935 राँची, दिनांक– 14/03/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–967, दिनांक–05.03.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/22

सरकार के अवर सचिव।

E:\JIT\Vidhan Sabha Question & Answer.docx_210

686

माननीया स0वि0स0, श्रीमति पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– पथ–48 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि छत्तरपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत N.H.-98 (देवताही मोड़) से बटाने डैम तक सड़क काफी जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ के निर्माण हो जाने से एक बड़ी आबादी का आवागमन सुलभ हो जायेगा एवं दूरी कम हो जायेगी ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जन आकांक्षाओं के अनुरूप भू–अर्जन तथा विस्थापितों का भुगतान कर, बटाने डैम का गेट गिराकर जल भण्डारण करने की प्राथमिकता है। उसके बाद नहरों का जीर्णोद्धार, लाईनिंग तथा सड़क की मरम्मति आदि करने पर विचार किया जा सकेगा।

अनु०:– पूरक सामग्री।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 1675 **/राँची, दिनांक–** 22/03/2022

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 857, दिनांक– 03.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

Ramesh_CEMed.